

प्रारूप - क
(खण्ड 4 देखिये)

(बीज व्यवहारी की अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिये आवेदन का प्रारूप)

सेवामें.

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी

जिला जयपुर (राज.)

1. आवेदक का नाम और पता

(क) नाम

डाक का पता

(ख) कारोबार का स्थान / पता

1. विक्रय के लिये

2. भण्डारण के लिये

2. क्या वह स्वत्धारी / भागीदारी लिमिटेड कम्पनी / हिन्दू अविभक्त परिवार समूल्यवान है।
स्वत्धारी / भागीदारी प्रबन्धककर्ता का नाम और पता देवे।

3. यह आवेदन किस हैसियत में किया गया।

1. स्वात्वाधिकारी 2. भागीदारी 3. प्रबन्धकर्ता 4. कर्ता

4. क्या आवेदक को पहले कभी अ वस्तु अभि. 1955 (10) के अधीन या उसके अधीन जारी किये गये किसी आदेश के अधीन आवेदन की तारीख से पहले पिछले तीन वर्ष के दौरान दोष सिद्ध किया गया है यदि हो तो विवरण देवे।

5. उन बीजों का विवरण देवे जिनके बारे में कारोबार किया जाना है।

बाजरा / ज्वार / मक्का / गेहूँ / दलहन / तिलहन

6. मैंने / हमने चालान सं. तारीख..... द्वारा 50/- रु पये की अनुज्ञप्ति पारित स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की ब्रांचमें जमा करा दी है।

7. घोषण :-

(क) मैं / हम घोषित करता हूँ / करते है कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे / हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और इसका कोई भी मिथ्या नहीं है।

(ख) मैंने / हमने नियन्त्रण आदेश 1983 से उपलब्ध प्रारूप (ख) में दी अनुज्ञप्ति के निबंधनो और शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया और मैं / हम उनका पालन करने के लिये सहमत है।

तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान

व मोहर

टिप्पणी :-

1. जहां बीजों के विक्रय / निर्यात / आयात का कारोबार एक से अधिक स्थानों पर चलाये जाने के लिये है वहां ऐसे स्थान के लिये पृथक् अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त की जानी चाहिए।

अनुज्ञापन प्राधिकारी के कार्यालय में प्रयोग के लिये

प्राप्ति तारीख

आवेदक प्राप्त करने वाले
अधिकारी का नाम / पदाभिधान